

प्रेषक,

मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश

पंचायतीराज अनुभाग-3

लखनऊ, दिनांक- 29 अगस्त, 2016

विषय: "स्वच्छ ग्राम स्वच्छ प्रदेश अभियान" के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वर्षा ऋतु आरम्भ हो जाने के कारण ग्राम पंचायतों की आन्तरिक गलियों एवं आस-पास की गन्दगी, गोबर, कूड़ा-करकट, मिट्टी आदि नालियों में बहकर पहुँच जाने से नालियाँ अवरुद्ध हो गयी हैं, जिससे जल प्रवाह बाधित हो रहा है, जिससे गलियाँ व नालियाँ कीचड़ युक्त बदबूदार हो जाती हैं। इस कारण न केवल ग्राम वासियों को आने-जाने व रहने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है, अपितु बीमारी फैलने का खतरा भी बना रहता है, जिससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अतः इसके निदान हेतु समस्त ग्राम पंचायतों में वृहद सफाई अभियान चलाया जाना आवश्यक है। इस हेतु निम्न तीन बिन्दुओं पर विशेष ध्यान देते हुए अभियान चलाया जायेगा:-

1. गांव के अन्दर की सफाई,
2. गांव की नालियों की सफाई,
3. तालाबों की सफाई।

उपरोक्त बिन्दुओं पर कार्यवाही वर्षा ऋतु आरम्भ होने के समय एवं वर्षा ऋतु के समाप्ति पर किया जाना है। इन बिन्दुओं पर कार्यवाही हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था विभिन्न योजनाओं यथा मनरेगा, 14वां वित्त आयोग, चतुर्थ राज्य वित्त आयोग एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के अन्तर्गत उपलब्ध है। इन योजनाओं से सम्बन्धित विभाग कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर से ग्राम्य स्तर तक आदेश अपने स्तर से जारी करेंगे।

अतः "स्वच्छ ग्राम स्वच्छ प्रदेश अभियान" के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में निम्न बिन्दुओं पर तत्काल कार्यवाही करने की आवश्यकता है:-

1. वर्षा ऋतु के मध्य में प्रत्येक ग्राम पंचायत में विशेष सफाई अभियान चलाया जाय, जिसके लिए न्याय पंचायतवार विस्तृत कार्ययोजना बनाई जाय एवं न्याय पंचायत में तैनात सभी सफाईकर्मियों को ग्राम पंचायतवार 2 से 5 दिन का रोस्टर बनाकर बन्द नालियों, गन्दी गलियों, हैण्डपम्पों के चारों ओर, अन्य पेयजल स्रोतों के आस-पास एवं तालाब के इन्लेट की सफाई का अभियान चलाया जाय। यदि किसी ग्राम पंचायत में अभियान के दौरान सफाईकर्मियों के संख्या में कमी पायी जाती है, तो ग्राम पंचायत अन्य श्रमिक की सहायता लेकर योजनानुसार निर्धारित समय में अभियान पूर्ण कराया जा सकता है। इसके क्रियान्वयन का दायित्व पंचायती राज विभाग का होगा।
2. नालियों की मरम्मत एवं नये नालियों का निर्माण कराया जाना वर्षा ऋतु के समय एक कठिन कार्य होता है, फिर भी ग्राम पंचायत कार्ययोजना बनाकर आवश्यकतानुसार इस कार्य को भी करायेंगी, जिससे नालियों का प्रवाह निर्बाधरूप से चलता रहे। इसके क्रियान्वयन का दायित्व पंचायती राज विभाग का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

3. ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति (NHM) द्वारा निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही की जायेगी:-
- (क) समस्त ग्राम सभाओं में अभियान के दौरान ग्राम्य स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति की विशेष बैठक का आयोजन किया जायेगा। बैठक में ग्राम सभा के विभिन्न मजदूरों के स्वच्छता की स्थिति की चर्चा की जायेगी। इसमें कूड़े का निस्तारण, जल भराव वाले गड्ढे एवं नालियों की स्थिति, शौचालयों की स्थिति आदि पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।
- (ख) बरसात के मौसम को देखते हुए स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था के लिये योजना बनायी जायेगी इसमें पीने वाले पानी के कुओं में ब्लीचिंग पाउडर का डाला जाना, हैण्डपम्पों के चारों ओर सफाई की व्यवस्था करना आदि सम्मिलित है। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों से सहयोग लिया जायेगा।
- (ग) मच्छरों के बढ़ने व पैदा न होने देने हेतु रूके हुए पानी में लार्वा को नष्ट करने वाली दवा का छिड़काव कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (घ) ग्राम सभा में स्वच्छता, पेयजल, शौचालय, मच्छरदानी का उपयोग आदि के सम्बन्ध में लोगों का जागरूक करने के उद्देश्य से दीवाल लेखन, समूह बैठक, स्कूली बच्चों की रैली आदि का आयोजन किया जायेगा। इसके क्रियान्वयन की जिम्मेवारी स्वास्थ्य विभाग की होगी।
4. ग्राम पंचायत द्वारा अपशिष्ट सामाग्री के सुरक्षित निपटारे, कम्पोस्ट गड्ढों का निर्माण घरेलू कूड़े का एकत्रण व सुरक्षित निपटान एवं सोखता चैनलों/गड्ढों के निर्माण का कार्य अभियान के दौरान चलाया जायेगा। इसके क्रियान्वयन का दायित्व ग्राम्य विकास विभाग का होगा।
5. वर्षा ऋतु के अन्तिम चरण में भी उपर्युक्त समस्त कार्यवाही पुनः चलाई जानी आवश्यक होगी। इस बात का कार्ययोजना बनाते समय विशेष ध्यान रखा जाय, कि यह अभियान वर्षा ऋतु के आरम्भ में एवं समाप्ति दोनों समय समान रूप से समस्त विभागों द्वारा चलाया जाना है।
6. अभियान के बेहतर क्रियान्वयन हेतु दायित्व का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्य	जिम्मेदार अधिकारी
1	2	3
1	अभियान का नियोजन, निर्देशन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	जिलाधिकारी
2	अभियान का क्रियान्वयन एवं समस्त विभागों एवं संस्थाओं में समन्वयन	मुख्य विकास अधिकारी
3	जनपद स्तर पर अभियान सम्बन्धी दस्तावेजों का संकलन	जिला पंचायत राज अधिकारी

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दीपक सिंघल)

मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक- यथोक्त।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।

2-प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग/स्वास्थ्य विभाग/ग्राम्य विकास विभाग/ ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग/बेसिक शिक्षा विभाग /वित्त विभाग उत्तर प्रदेश शासन।

3-निदेशक, पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश को निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

4-समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।

5-समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ०प्र०।

6-समस्त मण्डलीय उप निदेशक (पं०), पंचायती राज विभाग, उ०प्र०।

7-समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश को निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित।

8- मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) उ०प्र०।

9- निजी सचिव, मुख्य सचिव उ०प्र०।

आज्ञा से,

(चंचल कुमार तिवारी)

प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।